U;k;ky; lgk;d dyDVj ,oa mi[k.M vf/kdkjh] fcykMk
ftyk tks/kiqj

पीठासीन अधिकारी :— रामचन्द्र खटीक, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— 20/2020

ikFkhZ	cuke	viikFkhZ
श्रीमती दाकूदेवी पत्नी स्व. नाथूराम जाति खारडिया (सीरवी) निवासी बेरा चौथजी वाला समदड़ा बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर

ikFkZuk i= vUrxZr /kkjk 136
jktLFkku Hkw jktLo vf/kfu;e 1956

— — — — —

mifLFkfr %& प्रार्थी की ओर से श्री गिरधारीलाल कंसारा अधिवक्ता
अप्रार्थी सरकारी पैरोकार

%% vkns'k %% fnukad

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि कस्बा बिलाडा चक संख्या 4 पटवार हल्का बिलाड़ा चक 4 तहसील बिलाड़ा की सरहद में प्रार्थीया की पुश्तैनी सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 326 खसरा नम्बर 1195 रकबा 0.2670 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीया व प्रार्थीया के पुत्र रमेशचन्द्र, दिलीप व पुत्री प्रमिला के नाम से कब्जा काश्त व सयुक्त खातेदारी की स्थित है, जिसमें प्रार्थीया का सयुक्त हिस्सा है। इसी प्रकार कस्बा बिलाड़ा चक 4 तहसील बिलाडा की सरहद में प्रार्थीया की पुश्तैनी सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 1236 खसरा नम्बर 1138 रकबा 0.2993 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1169 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.3398 हैक्टेयर प्रार्थीया व प्रार्थीया के पुत्र रमेशचन्द्र, दिलीप व पुत्री प्रमीला के नाम से कब्जा काश्त व सयुक्त खातेदारी की स्थित है, जिसमें प्रार्थीया का सयुक्त हिस्सा है। उपरोक्त वर्णित दोनो खातो की उपरोक्त खसरान की कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में हल्का पटवारी द्वारा भूलवश व त्रुटिवश व सेवन से दाकू देवी के स्थान पर दाकूड़ी दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थीया ने हल्का पटवारी द्वारा अपने उपरोक्त खातो व खसरान खातेदारी की कृषि भूमि की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थीया के उपरोक्त खसरान की खातेदारी की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व गिरदावरी में हल्का पटवारी द्वारा सेवन से भूलवश प्रार्थीया का नाम दाकूदेवी के स्थान पर दाकूड़ी राजस्व रेकर्ड में सेवन से

भूलवश गलत इन्द्राज होने से कभी भी वाद विवाद हो सकता है तथा प्रार्थीया को बैक से के.सी.सी. ऋण लेने, सहकारी योजनाओं का लाभ नही मिल रहा है। इस कारण राजस्व रेकर्ड में दर्ज किए गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया के खातेदारी की उपरोक्त खातों व खसरान की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाकर प्रार्थीया का नाम दाकूड़ी हटाकर दाकूदेवी दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। जिन्होने अपना जवाब पेश किया, जिसे शामिल मिसल कराया गया जो जवाब इस आधार का पेश किया कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि पटवार मण्डल बिलाडा चक न. 4 में आयी हुयी है, जिसमें प्रार्थीया का नाम दाकूडी दर्ज है। नामा संख्या 1766 विरासत का भरा जाने से जमाबन्दी चौसाला में वादीया का नाम दाकूडी दर्ज हुआ है, जो सही नही है। वादीया अपना नाम सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, परिचय पत्र व राशनकार्ड के अनुसार दाकूडी के स्थान पर दाकूदेवी करवाना चाहती है। अन्त में जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 4 के खाता संख्या 326 खसरा नम्बर 1195 रकबा 0.2670 हैक्टेयर व खाता संख्या 1236 खसरा नम्बर 1138 रकबा 0.2993 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1169 रकबा 0.0405 हैक्टेयर में दाकूडी पत्नी नाथूराम के हिस्से में दाकूदेवी पत्नी नाथूराम किया जाता है तो भूमिधारी को कोई आपति नही है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया ओर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरूस्ती का निवेदन किया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यो को दोहराया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी, नामान्तरकरण, आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, सहकारी बैक का किसान कार्ड, प्रार्थीया के आन्ध्रा बैंक बिलाड़ा की खाता पासबुक आदि पेश किये। विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम दाकूडी पत्नी नाथूराम दर्ज किया हुआ है। चुकि दाकूडी नाम सम्मानजनक नही होने से उसे शुद्ध किया जाना उचित है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बिलाडा चक संख्या 4 तहसील बिलाड़ा के खाता संख्या 326 की भूमि खसरा नम्बर 1195 रकबा 0.2670 हैक्टेयर,

ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 4 तहसील बिलाड़ा के खाता संख्या 1236 के खसरा नम्बर 1138 रकबा 0.2993 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1169 रकबा 0.0405 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार दाकूडी पत्नी नाथूराम के स्थान पर दाकूदेवी पत्नी नाथूराम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि ग्राम बिलाडा चक संख्या 4 तहसील बिलाड़ा के खाता संख्या 326 की भूमि खसरा नम्बर 1195 रकबा 0.2670 हैक्टेयर, ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 4 तहसील बिलाड़ा के खाता संख्या 1236 के खसरा नम्बर 1138 रकबा 0.2993 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1169 रकबा 0.0405 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज सयुक्त खातेदार दाकूडी पत्नी नाथूराम के स्थान पर दाकूदेवी पत्नी नाथूराम दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसललशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रामचन्द्र खटीक)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र खटीक)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा